कैबनिेट ने अप्रचलति और अनावश्यक कानूनों के नरिसन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रमिंडल ने नरिसन और संशोधन वधियेक, 2017 (Repealing and Amending Bill, 2017) द्वारा पुराने और नरिर्थक हो चुके 105 अधनियिमों को नरिस्त करने के लयि अपनी मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बदिु

सरकार ने पुराने और नरिर्थक हो चुके 105 कानूनों को नरिस्त करने का नरि्णय लयि है और इसके लयि नरिस्तीकरण और संशोधन वधियेक, 2017 संसद में पेश कयि जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रमिंडल की बैठक में इस नरि्णय को मंजूरी दी गई ।

प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय वधिि आयोग और वधिि विभाग द्वारा गठति दो सदस्यीय समतिि ने नरिस्त करने के लयि पुराने और नरिर्थक पड़ चुके 1824 कानूनों की पहचान की थी ।

इस समतिि की सफिारशि तथा वभिन्नि मंत्रालयों द्वारा की गई जाँच के आधार पर सरकार ने अब तक (मई 2014 से अगस्त 2016 के दौरान) 1175 कानूनों को नरिस्त कयि है जो इस प्रकार हैं:

1. नरिसन तथा संशोधन अधनियिम (2015 का 17वाँ) द्वारा 35 अधनियिमों को नरिसति कयि गया {The Repealing and Amending Act, 2015 (17 of 2015) repealing 35 Acts};
   नरिसन तथा संशोधन (द्वतिीय) अधनियिम, 2015 (2015 का 19 वाँ) द्वारा 90 अधनियिमों को नरिसति कयि गया {The Repealing and Amending (Second) Act, 2015 (19 of 2015) repealing 90 Acts};
2. वनियिोग अधनियिम (नरिसन) वधियेक, 2016 (2016 का 22) द्वारा 756 अधनियिमों को नरिसति कयि गया {The Appropriation Acts (Repeal) Act, 2016 (22 of 2016) repealing 756};
3. रेलवे वनियिोग अधनियिम सहति वनियिोग अधनियिमों को समाप्त कयि गया { Appropriation Acts including Appropriation (Railways) Acts };
4. नरिसन और संशोधन अधनियिम, 2016 (2016 का 23) द्वारा 294 अधनियिमों को नरिस्त कयि गया {The Repealing and Amending Act, 2016 (23 of 2016) repealing 294 Acts}

चनि्हति कयि गए 1824 कानूनों में 227 (राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के लयि संसद द्वारा अधनियिमति वनियिोग अधनियिमों सहति) राज्य सरकारों को नरिस्त करने हैं और इसके लयि राज्यों से अनुरोध कयि गया है। केन्द्र सरकार ने बाकी बचे 422 केन्द्रीय कानूनों को जाँच के लयि वभिन्नि मंत्रालयों तथा वभिागों के पास भेजा था, जनिमें से 105 को नरिस्त करने के लयि सभी संबंधति मंत्रालयों ने अपनी मंज़ूरी दे दी है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cabinet-approved-the-repeal-of-obsolete-and-unnecessary-laws